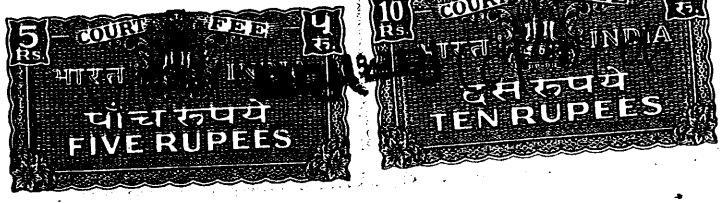

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

74

निग० 1368-II/07

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ निगरानी

१। पंकज पुत्र श्री रमेशचन्द

२। धीरज पुत्र श्री रमेशचन्द

निवासीगण सेंवढ़ा, जिला दतिया, म०प्र०

विरुद्ध

१। महन्त सियाशरण दास शिष्य स्व० महन्त रामदेवशरण बैरागी, निवासी हनुमत भवन गोपालघाट श्री अयोध्याजी, तहसील व जिला फैजाबाद, उत्तरप्रदेश -- असल प्रतिप्रार्थी

२। महन्त सुंदरशरण, निवासी जानकी वल्लभ मुहल्ला लक्षमणघाट अयोध्या तहसील व जिला फैजाबाद, उत्तरप्रदेश

३। रानी दुल्हन पत्नी स्व० दुर्गाप्रसाद

४। जमुना देवी पुत्री श्री दुर्गाप्रसाद

५। उर्मिला पुत्री श्री दुर्गाप्रसाद

६। ममता पुत्री श्री दुर्गाप्रसाद

सभी निवासीगण थरेट, तहसील सेंवढ़ा जिला दतिया, म०प्र० -- तरतीबी प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग दिनांक १२-०६-०७ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९। प्रकरण क्रमांक १०६/२००१-०२ निगरानी।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

----- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1368–दो/2007 जिला–दतिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–9–17	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थीउपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 की ओर से अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 106/2001–02/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–06–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने पूर्व में दिये गये प्रत्यावर्तन आदेश पर भी समुचित विचार नहीं किया। जब प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात हित रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब मृतक के स्वत्वों को प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये और इसी हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय	

द्वारा निरस्त किया गया है। अनावेदक क्र0 1 के हक हुये विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण का विवाद वर्तमान प्रकरण में नहीं है। इस स्थिति में अपर आयुक्त ने कोई विचार नहीं किया है। अधिपति कृषक को कानून के प्रभाव से स्वमेव ही भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत होते है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत के आधार पर नामांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालया द्वारा कतई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि भूमिस्वामी दुर्गाप्रसाद के द्वारा भूमि सर्वे क्र0 1021 रकबा 2.48 हैक्टेयर का विक्रय महन्त रामदेवशरण के हक में दिनांक 02.07.74 को किया गया और इस विक्रय पत्र के आधार पर महन्त रामदेवशरण भूमिस्वामी हुये। रामदेवशरण की मृत्यु होने पर निगरानीकर्ता के द्वारा वारिस होने के आधार पर नामांतरण की मांग की गई । इस कार्यवाही के दौरान दुर्गाप्रसाद के द्वारा अपने आप को मौरूषी कृषक होने के आधार पर आपत्ति करते हुये, आपत्ति की गई और

नामांतरण की मांग की गई, वहीं दूसरी ओर दुर्गाप्रसाद के द्वारा इसी भूमि का वसीयत आवेदकगण पंकज और धीरज पुत्रगण रमेशचंद के हक में किये जाने के आधार पर वसीयत गृहिता दोनों ने ही विभिन्न मुद्दों पर अपने हक की मांग की है। प्रकरण में यह तथ्य विचारणीय है कि जब एक बाद दुर्गाप्रसाद के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय करके अपने स्वत्व अंतरित कर दिये तब उसको इस भूमि पर अन्य कोई स्वत्व शेष नहीं रह जाते है। जहां तक मौरूषी कृषक होने का प्रश्न है, मौरूषी कृषक के आधार पर स्वत्व प्रदान करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अपितु व्यवहार न्यायालय को है और किसी भी व्यवहार न्यायालय ने दुर्गाप्रसाद के हक में ऐसा कोई आदेश पारित भी नहीं किया है, जिससे उससे भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हुये हों। यह किसी भी स्थिति में सम्भव ही नहीं है कि भूमिस्वामी के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय करने के बाद पुनः उसी भूमि पर उसे मौरूषी कृषक के अधिकार पुनः प्राप्त हो जावे। ऐसा कोई पट्टा आदि भी उसके द्वारा विचारण न्यायायल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह पूर्ण रूप से प्रकट होता है कि दुर्गाप्रसाद के द्वारा वादग्रस्त भूमि को हड़पने के लिये मौरूषी कृषक होने और वसीयत करने जैसे कई अवैधानिक प्रयास किये गये, जिनका उसे कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि विचारण न्यायालया में कार्यवाही के दौरान आवेदकगण को विधिवत उनको साक्ष्य और सुनवाई का अवसर भी

प्रदान किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी प्रमाणित है कि व्यवहार न्यायालय के द्वारा भी अनावेदक महन्त रामदेवशरण का वैध उत्तराधिकारी मान्य किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सभी तथ्यों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया और न ही प्रकरण का भलीभांती अध्ययन किया है। किन्तु तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायायल ने अपने आदेश में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वह अभिलेख से स्वतः प्रमाणित हो रहे है।

7/ अतएव आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 16.10.98 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 12.06.2007 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य